छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023

(फाल्गुन 22, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर अनौपचारिक उल्लेख किया :-

जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तद्नुसार, आज सोमवार, दिनांक 13 मार्च को "राष्ट्रकुल दिवस" पर राष्ट्रकुल देशों ने "forging a sustainable and peaceful common future" (फॉरगिंग अ सस्टेनेबल एण्ड पीसफुल कॉमन फ्यूचर) अर्थात् "स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना" को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश शासन के अधीन रहे एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के 56 स्वतन्त्र देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी, जिनमें विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परम्पराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह, राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार, भाईचारा, आपसी एकता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है।

आईये, हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय "स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना" के मूलमंत्र को मानते हुए, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के निर्धारित

लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने में अपने मानवीय कर्त्तव्यों के उत्तम निर्वहन का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री सोहन पोटाई, पूर्व सांसद, लोकसभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य सर्वश्री मोहन मरकाम, बृजमोहन अग्रवाल, शिशुपाल शोरी, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.22 बजे स्थगित की जाकर 11.31 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. रमन सिंह के स्थान पर श्री नारायण चन्देल, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 47 तारांकित एवं 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/XII, दिनांक 19 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023,

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13-03/2008/20-2 (3), दिनांक 20 सितम्बर, 2022 तथा

(3) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार:-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 08 फरवरी, 2018

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 28 जून, 2021

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-20/2016/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-18/2016/18, दिनांक 30 मार्च, 2022 तथा

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-18/2016/18, दिनांक 29 अगस्त, 2022

पटल पर रखे।

5. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा सभा में पढ़े गये अभिभाषण एवं माननीय सदस्यों को वितरित किये गये अभिभाषण के हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन में अंतर होने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.48 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर पुनः चर्चा कराये जाने की मांग की ।

6. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि श्री अजय चन्द्राकर एवं अन्य सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग एवं सभा की अवमानना की सूचना दिनांक 13.03.2023 को मुझे प्राप्त हुई है, जो मेरे समक्ष विचाराधीन है । प्राप्त सूचना मैं स्पष्टीकरण हेतु शासन को भेज रहा हूं। वस्तुस्थिति से यथासमय अवगत कराऊंगा ।

7. पृच्छा

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, शैलेष पाण्डेय, बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों ने बिलासपुर शहर में सीवरेज की समस्या के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में संज्ञान लेकर जांच करायें।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि विभागीय अधिकारियों को संज्ञान में लेने और ठीक करने का निर्देश जारी करेंगे ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने रायपुर जिले के कंडरा/बसोड़ परिवारों को निर्धारित मात्रा एवं दर से बांस उपलब्ध नहीं कराये जाने की की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9.सदन को सूचना

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा भवन स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 मार्च से 16 मार्च, 2023 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है । कृपया प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लें ।

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 को भी आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

(2) माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा मंगलवार 14 मार्च, 2023 को भी होगी ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

भोजन अवकाश की सूचना

(3) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 13 मार्च, 2023 से, दिनांक 23 मार्च, 2023 तक भोजन अवकाश को स्थगित करने की सहमति सभा द्वारा दी गई थी ।

आज सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को प्रजापति ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति सरोवर विधान सभा मार्ग, सड्डू रायपुर द्वारा दोपहर 1.00 बजे ब्रम्हाभोज आयोजित किया गया है । अत: सभा की कार्यवाही दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाएगी । मैं समझता हूं, सभा सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे का निर्माण गाईड लाइन के अनुरूप नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रम-4 के उप-पद-2 तक का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(1.47 बजे से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री मोहन मरकाम

(3) श्री पुन्नूलाल मोहले

(4) श्री रामपुकार सिंह

(5) श्रीमती इंदू बंजारे

12. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 66, वैशालीनगर से निर्वाचित सदस्य श्री विद्यारतन भसीन द्वारा मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 01 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्री कुलदीप जुनेजा

(3) श्री चक्रधर सिंह सिदार

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

(2) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

(3) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

15. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अजय चन्द्राकर,सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, सौरभ सिंह, अरूण वोरा, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. विनय जायसवाल, श्री प्रमोद कुमार शर्मा

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण खत्म होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

रात्रि 7.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा